संख्या-2/2015/1522/22-4-14-105(ब)/98

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक-01जनवरी, 2015

विषय- नवनिर्मित जिला कारागार, सोनभद्र में स्थाई पेयजल की व्यवस्था किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 36257/नम-2, दिनांक- 03.12.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय नवनिर्मित जिला कारागार, सोनभद्र में स्थाई पेयजल की व्यवस्था किये जाने हेतु उ0प्र0 जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए प्रश्नगत निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 4,56,85,000/'(रूपया चार करोड. छप्पन लाख पच्चासी हजार मात्र) की लागत पर प्रदान करने एवं चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रथम किश्त के रूप में रू0 2,00,00,000/-(रूपया दो करोड. मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण कार्य की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 30.03.2015 तक कर लिया जायेगा तथा वित्तीय/भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक माह उपलब्ध कराई जाय तथा निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। मात्राओं को निर्माण के सयम सुनश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(7) महानिरीक्षक कारागार द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं आवश्यकतानुसार क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(8) प्रथम किश्त 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग कर लेने के पश्चात दूसरी किश्त आहरित की जायेगी। लेबर सेस की धनराशि का नियमानुसार भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-04-कारागारों में जलापूर्ति स्वच्छता में सुधार-24-वृहत् निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22.07.2014 में प्राशसकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2/2015/1522 (1)/22-4-14-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

(3) जिलाधिकारी, सोनभद्र।

(4) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in